संख्या–143 USDMA-784(2020)

प्रेषक,

सचिव (प्रभारी),
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव,**
   लोक निर्माण, खन्न, वन, सामान्य प्रशासन, समाज कल्याण, उच्च शिक्षा एवं कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं सचिव (प्रभारी),**
   सचिवालय प्रशासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्योग, सिंचाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन, शहरी विकास, परिवहन, ग्रामीण निर्माण, कृषि एवं उद्यान, पेयजल, वित्त, पर्यटन, आबकारी एवं शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

यू0एस0डी0एम0ए0 देहरादूनः दिनांक 01 मई, 2020

विषयः **कोविड़–19 के संक्रमण को सीमित किये जाने हेतु विभागों द्वारा निर्गत किये गये आदेशों के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कोविड़–19 के संक्रमण को सीमित किये जाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तालाबन्दी के प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण में समय–समय पर विभिन्न आदेश/मार्ग निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अपने–अपने स्तर पर निर्गत किये गये आदेशों/मार्ग निर्देशों पर राज्य कार्यकारी समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया आपके विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार निर्गत आदेशों/मार्ग निर्देशों की प्रति राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तराखण्ड के ई–मेल seoc.dmmc@gmail.com एवं usdmaac@gmail.com में दिनांक 12 मई, 2020 तक उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

1/5/2020

(एस0ए0 मुरूगेशन)
सचिव (प्रभारी)